



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-16.10.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लोहता में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 06 माह सश्रम कारावास व 5,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0069/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त आफताब आलम पुत्र कमालुद्दीन निवासी ग्राम धन्नीपुर थाना लोहता जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लोहता व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-15.10.2024 को माननीय न्यायालय ASJ/FTC-14 FC द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त आफताब आलम उपरोक्त को अंतर्गत धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में 06 माह के सश्रम कारावास से व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।